(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 25 (आर ई 2012)/2009-2014
नई दिल्ली दिनांक : 19 अक्तूबर, 2012

विषय : निर्यातकों द्वारा आरसीएमसी की वास्तविक प्रति सौंपे जाने से छूट प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (आरई 2012)/2009-14 के पैराग्राफ 2.64 में संशोधन ।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (आरई 2012)/2009-14 के पैरा 2.64 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं ।

2. पैरा 2.64 (पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र) में उप-पैरा (ख) के बाद, नए उप पैरा (ग) और (घ), जोड़े जाते हैं । नए उप-पैरा निम्नानुसार होंगे :-

" ग विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया-पुस्तक में यथा निर्धारित ईपीसी/पण्य बोर्ड/विकास प्राधिकारी/अन्य सक्षम प्राधिकारी निर्यातकों के डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित आरसीएमसी डाटा को विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे ।

घ विदेश व्यापार नीति के तहत किसी लाभ अथवा छूट के लिए निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों के साथ आरसीएमसी की वास्तविक प्रति सौंपना 1.12.2012 से आवश्यक नहीं होगा ।"

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :-

आरसीएमसी का विवरण संबंधित ईपीसी/पण्य बोर्ड विकास प्राधिकारियों/अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उपलबध (अपलोडिड) करवाया जाएगा । तद्नुसार, आवेदकों द्वारा आरसीएमसी की वास्तविक प्रति को सौंपा जाना अपेक्षित नहीं होगा । यह 1/12/2012 से प्रभावी होगा ।

(अनुप के0 पूजारी)
विदेश व्यापार महानिदेशक
ई मेल : dgft@nic.in

(फाइल संख्या - 01/93/180/32/ एएम 13/पीसी 2बी से जारी)

Noti 2011/Doc/RK